अनुसूची-१४ -फारम सं० ५६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी-सह-समाहर्ता,सारण,छपरा।

आपूर्ति अपील सं0- 124/2012

नागेन्द्र तिवारी

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,मढौरा,सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
3.08.2015	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा,सारण के ज्ञापांक 3100, दिनांक 24.09.2012 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी,मढौरा के पत्रांक 68, दिनांक 22.02.2012 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि नागेन्द्र तिवारी, ज0वि0प्र0वि0 अनु0सं0 57/07, पंचायत-भावलपुर, प्रखंड-मढौरा के द्वारा खाद्यान्न का कूपन समय से जमा नहीं किया जाता है, जिसके कारण माह जनवरी,फरवरी एवं मार्च 2012 में इनके नाम पर आवंटन नहीं किया जा सका। दिसम्बर 2011 के प्राप्त कूपन के आधार पर आवंटन भेजा गया है। विक्रेता के द्वारा दिनांक 17.02.2012 को माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2011 का कूपन प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में जमा किया गया है। इस प्रकार, विक्रेता की लापरवाही की वजह से उसकी दूकान से संबद्ध उपभोक्ता अन्त्योदय/बी0पी0एल0 खाद्यान्न से वंचित हो गए। उक्त अनियमितताओं के लिए विक्रेता से अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 1623, दिनांक 25.05.2012, ज्ञापांक 1735, दिनांक 21.05.2012 एवं ज्ञापांक 2851, दिनांक 07.09.2012 के द्वारा कारण पृच्छा किया गया। फिर भी विक्रेता से जवाब अप्राप्त रहा। विक्रेता के इस प्रकार के आचरण से यह स्वतः प्रमाणित हो गया कि विक्रेता के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप सही है, एवं उन्हे अपने पक्ष	

में कुछ नहीं कहना है। इस प्रकार, अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अर्पालार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता को दिनांक 11.09.2012 को कारण पृच्छा प्राप्त कराया गया, एवं बिना उसे बिना सुने हुए दिनांक 24.09.2012 को उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी। विक्रेता जौडिस से ग्रस्त थे, इसलिए उनके द्वारा कूपन जमा करने में कुछ विलम्ब हो गया। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में कूपन के आधार पर निगरानी समिति के सदस्यों के समक्ष अनुदानित सामग्री का उपभोक्ताओं के बीच वितरण किया जाता है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के प्रतिकूल आचरण करके गंभीर अनियम्मितताएं बरती गई है, जिसके लिए उनका अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाना उचित होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा बार बार स्मार दिए जाने के बाद भी विक्रेता के द्वारा जवाब नहीं दिया जाना एक गंभीर अनियमितता है। विक्रेता की उदासीनता की वजह से जनवरी 2012 से मार्च 2012 तक तीन माह अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 के खाद्यान्न से उसके उपभोक्ता वंचित हो गये। विक्रेता का ऐसा आचरण धोर आपत्तिजनक है। यदि विक्रेता की तबीयत खराब थी, तो उसके लिए यह आवश्यक था कि अनुज्ञापन पदाधिकारी को इसकी सूचना दी जाती, एवं किसी अन्य विक्रेता को संबद्ध कराकर खाद्यान्न का उठाव करा दिया जाता, लेकिन उसके द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। अपीलार्थी के द्वारा बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के प्रावधानों, अनुज्ञप्ति की शर्तो एवं विभागीय दिशा

निर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में, मैं अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 3100,दिनांक 24.09.2012) में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। अपीलार्थी के द्वारा दाखिल अपील आवेदन दिनांक 06.10.2012 को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

13/8/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

13/8/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

ज्ञापांक 33/मु0/न्या0, दिनांक 22/8/15

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा,सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

22/8/15